दिल्ली के जाट समाज को ओबीसी लिस्ट में शामिल करने के लिए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी

नई दिल्ली, (हि.स.)। राजधानी दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चिट्ठी लिखी है।

केजरीवाल ने लिखा है कि 10 साल पहले आपने जो वादा किया था, उसे याद दिलाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूं। मेरी हाल ही में दिल्ली के जाट समाज के कई प्रतिनिधियों से पिछले कुछ दिनों में मुलाकात हुई। इन सभी ने केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट समाज की अनदेखी किए जाने पर चिंता जताई। जाट समाज के प्रतिनिधियों ने मुझे बताया कि आपने 26 मार्च, 2015 को दिल्ली के जाट समाज के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाकर ये वादा किया था कि जाट समाज, जो दिल्ली की ओबीसी लिस्ट में है, उसे केंद्र की ओबीसी लिस्ट में भी जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के कालेजों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल सके। केजरीवाल ने कहा कि उसके बाद 8 फरवरी, 2017 को अमित शाह ने उप्र चुनाव से पहले चौधरी बीरेन्द्र सिंह के घर पर दिल्ली और देश के जाट नेताओं की बैठक बुलाई और उनसे वादा किया कि स्टेट लिस्ट में जो ओबीसी जातियां हैं, उनको केंद्र की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। आआपा नेता ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में फिर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के आवास पर अमित शाह जाट नेताओं से मिले और उन्होंने फिर वादा किया कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाएगा लेकिन चुनाव के बाद इस पर कोई काम नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर केंद्र की नीतियों में कई विसंगतियां हैं, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे पता चला है कि केंद्र की ओबीसी लिस्ट में होने की वजह से राजस्थान से आने वाले जाट समाज के युवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के ही जाट समाज के युवाओं को दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली में जाट समाज को ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद उन्हें केंद्रीय ओबीसी लिस्ट में शामिल नहीं किया है।

केजरीवाल ने इसे दिल्ली के जाट समाज के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि यह पिछले एक दशक से हो रहा है। उन्होंने कहा कि जाट समाज के अलावा रावत, रौनियार, राय तंवर, चारण व ओड जातियों को दिल्ली सरकार ने ओबीसी दर्जा दिया हुआ है लेकिन केंद्र सरकार इन्हें दिल्ली में अपने संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राजधानी में केंद्र सरकार के सात विश्वविद्यालय और उनके दर्जनों कालेज हैं। दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी, डीडीए, एम्स, सफदरजगं, आरएमएल जैसे केंद्र सरकार के कई संस्थानों में नौकरियां हैं, जिनमें केंद्र सरकार के नियम लागू होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की इस वादाखिलाफी की वजह से दिल्ली के ओबीसी समाज के हजारों युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है।

दिल्ली में केवेंटर्स ब्रांड की शॉप पर राहुल गांधी ने बनाई कोल्ड कॉफी

नई दिल्ली, (हि.स.)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी दिल्ली स्थित केवेंटर्स ब्रांड की शॉप में गए और उन्होंने वहां कोल्ड कॉफी बनाई। ब्रांड प्रमोटर से चर्चा का एक वीडियो राहुल ने सोशल मीडिया पर साझा किया है । राहुल ने कहा कि आप नई पीढ़ी और नए बाजार के लिए विरासत से चले आ रहे ब्रांड को कैसे बदल सकते हैं, इस बारे में केवेंटर्स के युवा संस्थापकों ने उन्हें बताया। राहुल ने कहा कि केवेंटर्स जैसे निष्पक्ष व्यवसायों ने पीढ़ियों से हमारी आर्थिक वृद्धि को गति दी है। इसलिए हमें उनका समर्थन करने की कोशिश करनी चाहिए।

चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मिले मोची रामचैत के बारे में राहुल ने बात की। राहुल ने कहा कि हमारे देश में बैंक बड़े बिजनेसमैन को आसानी से ऋण देते हैं, लेकिन छोटे काम करने वालों को पैसा नहीं मिलता। केवेंटर्स 100 साल पुराना स्टार्ट-अप है। यह विरासत और आधुनिक महत्वाकांक्षा को जोड़ता है। राहुल से बात करते हुए प्रोमोटर ने बताया कि कैसे यह ब्रांड अपनी स्वतंत्रता-पूर्व के जड़ों से विकसित होकर 65 शहरों में 200 से अधिक स्टोर वाले उपभोक्ता पावरहाउस में बदल गया। इसी बीच वीडियो में राहुल को शॉप पर मिली महिला अपने घर बुलाती हैं। राहुल उसके घर पहुंचे और दरवाजे की चाबियां गुम हो गईं। बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि वह राजीव गांधी से मिलने गई थी। दरवाजा न खुलने पर राहुल ने महिला से अगली बार उनके घर आने का वादा किया।

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतें लेकर चुनाव आयोग पहुंचे केजरीवाल

नई दिल्ली, (हि.स.)। आम आदमी पार्टी (आआपा) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को चुनाव आयोग से मिला और उन्हें नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में विपक्षी उम्मीदवार के चुनाव-प्रचार और मतदाता सूची में अपडेट से जुड़ी अपनी शिकायतों से अवगत कराया। केजरीवाल के साथ आयोग से मुलाकात करने वालों में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सांसद संजय सिंह भी शामिल रहे। आयोग से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नई दिल्ली में बड़े स्तर पर मतदाता सूची में नाम जोड़े और हटाए जा रहे हैं। साथ ही उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा खुलेआम गलत तरीकों से मतदाताओं को लुभा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि 15 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में साढ़े पांच हजार मतदाताओं को हटाए जाने और 13 हजार नए मतदाता जोड़े जाने संबंधित शिकायतें और आवेदन आए हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में एक लाख मतदाता हैं। ऐसे में 18 प्रतिशत से अधिक मतदाता सूची में अपडेट सीधे तौर पर चुनाव को प्रभावित करेगा।

राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हृदय का सफल प्रत्यारोपण, युवक को मिली नई जिंदगी

नई दिल्ली, (हि.स.)। राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में बुधवार को हृदय प्रत्यारोपण में दूसरी बार सफल रहा। इसके लिए 23 वर्षीय ब्रेन डेड मरीज के हृदय को दिल्ली यातायात पुलिस की मदद से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए गंगाराम अस्पताल से पहुंचाया गया। उसे 19 वर्षीय युवक में सफल प्रत्यारोपण किया गया। मरीज अभी आईसीयू में डॉक्टर की निगरानी में है। इस जटिल ऑपरेशन को आरएमएल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. विजय ग्रोवर और प्रोफेसर डॉ. नरेंद्र सिंह झाझरिया के नेतृत्व में डॉ. पलाश अय्यर, डॉ. पुनीत अग्रवाल, डॉ. रंजीत नाथ, डॉ जसविंदर कोहली के साथ करीब दर्जन भर स्टाफ ने छह घंटे में पूरा किया।

कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. विजय ग्रोवर ने बताया कि यह दूसरी बार सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया है। इससे पहले दो साल पूर्व एक सफल प्रत्यारोपण किया गया था। यह उपलब्धि संस्थान के लिए मील का पत्थर है, जिसे आज फिर दोहराया गया है। उन्होंने बताया कि 19 वर्षीय युवक पिछले तीन महीने से हृदय के इंतजार में था। बुधवार को सर गंगाराम अस्पताल में एक 23 साल के व्यक्ति के ब्रेन डेड होने से उसकी मौत हो गई। जिसके बाद मृतक डोनर के किडनी और लिवर को उसी अस्पताल में एक मरीज को दिया गया और उसके दिल को ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए गंगाराम अस्पताल से लाया गया। बुधवार रात को सर्जरी शुरू की गई जो छह घंटे चली और सफल रही। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह हमारी पूरी टीम के लिए गर्व का पल है क्योंकि हमने दूसरी बार ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

महिला सम्मान योजना का मामला हाई कोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली, (हि.स.)। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये मासिक सहायता देने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। आज सुनवाई के दौरान जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इस याचिका पर चुनाव याचिका के रूप में कैसे सुनवाई की जा सकती है। हाई कोर्ट इस याचिका पर कल यानि 10 जनवरी को सुनवाई करेगा। यह याचिका विजय कुमार ने दायर की है, जिसमें चुनावी वादे के प्रचार पर रोक लगाने का निर्देश चुनाव आयोग को देने की मांग की गई है।

केजरीवाल का जाट-प्रेम केवल घड़ियाली आंसू हैं: बिधूड़ी

दिल्ली में जाटों को आरक्षण भाजपा सरकार ने ही दिया था

नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने अरविंद केजरीवाल के एकाएक उमड़े 'जाट-प्रेम' को चुनावी सागर में घड़ियाली आंसू करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को यह शायद मालूम नहीं है कि दिल्ली में जाटों को आरक्षण 1993 में बनी भाजपा सरकार ने ही दिया था। दिल्ली देहात की लगातार उपेक्षा के कारण गांवों में जाटों समेत सभी जातियों के लोग उनसे नफरत करते हैं।

बिधूड़ी ने कहा कि 1993 में जब दिल्ली में भाजपा सरकार बनी थी तो मैंने भी जाट समाज के आग्रह पर विधायक के रूप में सरकार से अनुरोध किया था कि दिल्ली में जाटों को ओबीसी में शामिल किया जाना चाहिए और इसके बाद भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल बताएं कि आखिर पिछले दस सालों में कितने जाट युवकों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है?

उन्होंने कहा कि दिल्ली में जाटों के करीब 200 गांव हैं, जहां अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं लेकिन दिल्ली के किसानों के साथ केजरीवाल ने जो सौतेला व्यवहार किया है, वह किसी से छिपा नहीं है। इन गांवों के किसान ही केजरीवाल से यह पूछना चाहते हैं कि उन्होंने केंद्र में मोदी जी की सरकार द्वारा किसान कल्याणकारी योजनाओं को दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दिया? उन्होंने किसानों को सस्ती दरों पर खेती के लिए बिजली उपलब्ध क्यों नहीं कराई जबकि हरियाणा के किसानों को यह सुविधा मिलती है? दिल्ली के किसानों से बिजली के कमर्शियल रेट वसूल किए जाते हैं। उन्होंने दिल्ली में ट्रेक्टर को कमर्शियल वाहन घोषित क्यों किया? उन्होंने किसानों को अधिग्रहित जमीन की मुआवजा राशि क्यों नहीं बढ़ाई और अधिग्रहित जमीन के बदले वैकल्पिक आवासीय प्लाट की योजना को बंद क्यों किया? गांवों का हाउस टैक्स भी वादा करके माफ क्यों नहीं किया? यहां तक कि दिल्ली में किसानों से कृषि का दर्जा भी छीन लिया।

बिधूड़ी ने कहा कि स्वर्गीय श्री साहिब सिंह वर्मा दिल्ली में किसानों के सर्वप्रिय नेता रहे हैं और केजरीवाल से बार-बार अनुरोध किया गया कि किसी संस्थान का नाम उनके नाम पर करें लेकिन उन्होंने ऐसा करना उचित नहीं समझा। जाटों के दो गांवों बवाना और कैर में छात्राओं के दो कॉलेज खोलने का फैसला भी 1993 की भाजपा सरकार ने किया था।

केजरीवाल इन कॉलेजों के लिए बिल्डिंग बनाने की मांग भी पूरी नहीं की जबकि वे सालों से स्कूल की जर्जर बिल्डिंग में चल रहे हैं। केजरीवाल बताएं कि उन्होंने इन 200 गांवों में विकास की कौन-सी योजना दी है। यहां तक कि 5 नए कॉलेज खोलने का वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। बिधूड़ी ने कहा कि गांवों के लोगों ने इस बार केजरीवाल को हराने का प्रण लिया हुआ है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इस बार गांवों में प्रचार करने के लिए भी नहीं जा पाएंगे।

हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीस नैशनल सिम्पोज़ियम का आयोजन !

नई दिल्ली। दि ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस (टास) द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और सी.जी.आई.ए.आर. के इक्रीसैट (इंडिया), इंटरनैशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सैंटर (सिमिट), मैक्सिको; इंटरनैशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फि लिपीन्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लान्ट जैनेटिक रिसोर्सेस जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फॉर एन्हान्सिंग क्रॉप प्रॉडक्टिविटी नामक विषय पर तीन दिवसीय एक नैशनल सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) का आयोजन किया जा रहा है। यह संगोष्ठी राजधानी दिल्ली में पूसा कैंपस के एन.ए.एस.सी. कॉम्प्लैक्स में स्थित ए.पी. शिंदे सिम्पोज़ियम (संगोष्ठी) हॉल में 8 से 10 जनवरी - 2025 तक आयोजित की जा रही है। मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री

नरेन्द्र मोदी के प्रिंसिपल सैक्रेट्री, डॉ. पी.के. मिश्रा ने इस संगोष्ठी का शुभारंभ किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक, डॉ. हिमांशु पाठक के साथ प्रॉटेक्शन ऑफ प्लान्ट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी (पी.पी. वी.एफ. आर. ए.) के चेयरमैन और टास के वाइस चेयरमैन, डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने गैस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर संगोष्ठी की शोभा बढ़ाई। संगोष्ठी का नेतृत्व टास के चेयरमैन, पद्म भूषण, डॉ. राजेन्द्र सिंह परोदा ने किया। इस तीन दिवसीय संगोष्ठी के दौरान जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता और भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण उत्पन्न हुईं वैश्विक खाद्य असुरक्षा की चुनौतियों के सफल समाधान के लिए अपनाए और उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों के बारे में गहनता से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

इस संगोष्ठी में चावल, मक्का, कपास, बाजरा, ज्वार, सूरजमुखी, अरहर और चुनिंदा सब्जी फसलों में संकर प्रौद्योगिकी के विस्तार की संभावनाओं और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए शोधकर्ता, नीति निमार्ता, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिनिधि, युवा वैज्ञानिक और छात्र जैसे लगभग तीन सौ के करीब हितधारकों द्वारा विचार-मंथन किया जा रहा है।

औचक निरीक्षण में डीएम को विकास खण्ड कार्यालय में सभी कर्मचारी मिले गैर हाज़िर

रामपुर। जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह ने एसडीएम बिलासपुर के साथ विकास खण्ड कार्यालय बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश कर्मचारी अपने पटल से अनुपस्थित मिले। इन सभी गैर हाजिर कर्मचारियों के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी को कोई जानकारी नहीं थी। कार्यालय में पत्रावलियों/अभिलेखों का रख-रखाव अत्यन्त ही खराब स्थिति में मिला और लगभग सभी पत्रावलियाँ अव्यवस्थित तरीके से रखी पायी गयी।

जिलाधिकारी ने जब पटल सहायकों से उनके जॉब चार्ट के बारे में पूंछा तो किसी भी पटल सहायक के पास जॉब चार्ट नहीं मिला। लोक सेवक के रूप में पटल सहायक के क्या कर्तव्य हैं और उन्हें नियमित रूप से क्या कार्य सम्पादित करने चाहिए, इसके सम्बन्ध में किसी भी पटल सहायक द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी।अलमारियों में काफी पुरानी पत्रावलियाँ रखी पायी गयी, जिनको देखने से ऐसा प्रतीत हुआ कि पत्रावलियाँ काफी वर्षों से रखी हुई हैं, जिनके सम्बन्ध में संबंधित पटल सहायकों को भी जानकारी नहीं थी और न ही पत्रावलियों की कोई लिस्ट पटल सहायक के पास रखी पायी गई। जिलाधिकारी ने कहा कि खण्ड विकास अधिकारी द्वारा इस पत्रावलियों की स्थिति और कर्मचारियों की उपस्थिति के सम्बंध में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है। खण्ड विकास अधिकारी बिलासपुर को अपने अधीनस्थ कर्मियों पर कोई नियन्त्रण नहीं पाया गया और विभागीय दायित्वों के सम्बन्ध में भी जानकारी का घोर अभाव पाया गया। शासकीय कार्यों में घोर लापरवाही, उदासीनता, उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, पदीय दायित्वों के समुचित रूप से निर्वहन न करने के दृष्टिगत समस्त कर्मियों का एक दिन का वेतन काटने के साथ प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिये।

वक्फ संपत्तियों से संबंधित योगी आदित्यनाथ का बयान वास्तविकता से परे और भ्रामक

जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन उप्र के मुख्यमंत्री के बयान से लगता है कि शत्रु की संपत्ति है

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वक्फ संपत्तियों के संबंध में दिए गए बयान पर जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका बयान न केवल भ्रामक है बल्कि वास्तविकता से भी परे है। मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए अपने संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। उनके बयान से ऐसा लगता है कि वह एक विशेष अल्पसंख्यक वर्ग के विरुद्ध खड़े हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों का उद्देश्य हमेशा सामाजिक भलाई और कल्याण रहा है और इनका उपयोग इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार मस्जिदों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अनाथालयों के निर्माण और जरूरतमंदों की सहायता के लिए होता है।

वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 के वक्फ अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इसी आधार पर देश के अधिकांश राज्यों में वक्फ अधिनियम स्थापित हैं जिनकी देखरेख एवं संरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। स्वयं उनकी सरकार के संरक्षण में यूपी वक्फ बोर्ड कार्य कर रहा है। इसके साथ ही एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी है, जो भारत सरकार के अधीन कार्य करती है।

यह एक तथ्य है कि भारतीय कानून ने वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक विधिवत और मजबूत व्यवस्था की है। इसलिए उन्हें ऐसा बयान देते समय इसके प्रभावों और परिणाम पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका बयान कि 'वक्फ बोर्ड एक भू-माफिया है', से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह देश के कानून, इसके संविधान और यहां की सरकारों को इस 'माफिया' का संरक्षकों बता रहे हैं। यही नहीं, इससे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि वक्फ संपत्तियां इस देश का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी शत्रु की संपत्तियां हैं।